

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 228/2020 - निगरानी

- ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा बनाम
1. गोपाल लाल पिता रामलाल कुम्हार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत

उपस्थित -

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता - निगराकार की ओर से



निर्णय

दिनांक 21.02.2023
निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड 40 बाई 30 यानि 1200 वर्गफीट भूमि का आवासीय पट्टा पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/-रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पट्टों पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा

[Signature]

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पट्टे प्राप्त करता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारिज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा दिनांक 05.09.20219 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Luok
(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा